भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3903
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- केले का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3903. श्री आनंद भदौरियाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत अन्य खाद्यान्नों के साथ केले को भी शामिल करेगी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने केला उत्पादक किसानों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए हैं या करेगी;
(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश के सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिलों के विशेष संदर्भ में इसका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) जी नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ): सरकार देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रही है। एमआईडीएच के अंतर्गत, किसानों को संरक्षित खेती तकनीकों को अपनाने में सहायता के लिए संस्थागत, तकनीकी और विस्तार सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राज्य बागवानी मिशनों, तकनीकी सहायता समूहों (टीएसजी), प्रिसिजन खेती विकास केंद्रों (पीएफडीसी), उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई), आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीतापुर और लखीमपुर खीरी सहित उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को विपणन संबंधी निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:

i. नॉन-प्रेशेराइज्ड और प्रेशेराइज्ड राइपनिंग चेंबर - पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत की 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है।
ii. कूल चैंबर वाले स्टैटिक/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म - पात्र लाभार्थियों को परियोजना की कुल लागत की 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
iii. रिटेल काउंटर सहित मोडिफाइड रिटेल रीफर वैन(एकीकृत पैक हाउस से लिंक किया जाना है)- पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत की 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सरकार, नाशवान प्रकृति के और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए पीएम-आशा योजना के एक घटक बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का भी कार्यान्वयन करती है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य बंपर फसल होने पर चरम आवक के समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाती हैं, तब इन उत्पादों के उत्पादकों को संकटग्रस्त बिक्री करने से बचाना है। प्रचलित बाजार मूल्यों में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट होनी चाहिए। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है।
